Title : Need to declare Kol caste as Scheduled Tribe and reserve seat for them in State Legislature of Uttar Pradesh..

(viii) Need to declare Kol caste as Scheduled Tribe and reserve seat for them in State Legislature of Uttar Pradesh

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : महोदय, सन् 2002 में संसद में विधेयक संख्या 62 के पारित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अगरिया, बैंगा, भुईयां जैसी कई जातियां शेड्यूल्ड कास्ट मानी जाती थीं। उत्तर प्रदेश में ऐसी 22 जातियां निवास करती हैं। राज्य सरकार बराबर उन्हें एस.टी. घोषित करने की संस्तुति भेजती रही, लेकिन केवल 10 जातियों को ही एस.टी. घोषित किया गया।

वर्ष 2002 में और 10 जनजातियां घोषित करने के बाद कुल 15 जातियां एस.टी. की श्रेणी में आ गईं। इनकी संख्या 1991 में 3,80,815 थी, लेकिन परिसीमन आयोग ने उन्हें 2001 में 1,07,963 दिखाया है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में विधान सभा सीट शून्य निर्धारित की गई। इन जनजातियों की मौजूदा आबादी 4,58,000 है। अतः इस गलती को सुधार कर जनजातियों की सीटों को आरक्षित करने की आवश्यकता है। इनमें सबसे प्रमुख जाति जो छूट गई है वह कोल जाति है जो कि सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, झांसी, हमीरपुर तथा उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में निवास करती है। इन्हें बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा से प्रस्ताव आ चुका है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोल जाति को जनजाति घोषित किया जाए तथा इस जाति के लिए विधान सभा में सीट आरक्षित की जाए।